निग० प्र० 3831/2015

न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर (म० प्र०)

प्र0 क0 /15—16 निगरानी माल नि०/3831–I–15

श्री मुकेश भार्गव
द्वारा आज दि० 26-11-15 को
प्रस्तुत
26-11-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बासुदेव पुत्र सरनाम सिंह आयु 56 साल
जाति गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम खरौआ
परगना गोहद जिला भिण्ड
..................निगरानी कर्ता

बनाम

रामेश्वर सिंह पिस0 मुतबला सारस्वता आयु
61 साल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम छरेंटा
(खरौआ) परगना गोहद जिला भिण्ड
.............प्रति निगरानी कर्ता

मुकेश भार्गव
26-11-15 एडवोकेट
ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता विरूद्व आदेश दिनॉक 20—10—15 जो न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय गोहद के पीठासीन अधिकारी श्री डी0 के0 शर्मा जी द्वारा प्र0 क0 76/11—12 अ0 माल0 में पारित किया गया है ।

श्रीमान् जी ,

सेवा में निगरानी कर्ता की निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है ।

1:— यह कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के संक्षिप्त तत्थ्य इस प्रकार है कि प्रतिनिगरानी कर्ता द्वारा निगरानी कर्ता के विरूद्व अपील इस आशय की प्रस्तुत की थी । कि सर्वे कमांक 33 रकवा 1.48 , 53 रकवा 0.49 बाके मौजा छरेंटा (खरौआ) परगना गोहद में स्थित है उपरोक्त भूमि पर निगरानी कर्ता द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय गोहद के यहॉ कब्जा अंकित करा दिया है । इसी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है ।

2:— यह कि प्रतिनिगरानी कर्ता द्वारा न्यायायल सिविल जज बर्ग—2 गोहद के न्यायालय में एक सिविल बाद प्र0 क0 16/12 ए0 इ0 दी0 से प्रस्तुत किया है । इस दीवानी दावा में स्वत्व का निराकरण होना है । निगरानी कर्ता इस दीवानी दावा में प्रतिदावा (काउन्टर क्लेम) प्रस्तुत किया है ।

(2)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3831-एक/15 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर, से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	